भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4247
20 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

भोजन से वंचित बच्चे

4247. सुश्री सयानी घोष:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में भोजन से वंचित बच्चों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने देश में बच्चों में कमजोरी, बौनापन और अपेक्षाकृत कम वजन की व्याप्तता को कम करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) विगत पांच वर्षा के दौरान इन पहलों के लिए वर्षवार कितनी निधि आवंटित और उपयोग की गई;
(घ) क्या सरकार ने उन समाचार रिपोर्टों का संज्ञान लिया है जिसमें कहा गया है कि पांच वर्ष से कम आयु के 7 लाख बच्चों में से लगभग 5 लाख बच्चों की मृत्यु बाल और मातृ कुपोषण के कारण हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
और
(ङ) ऐसी मौतों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क), (ख), (घ) और (ङ) उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 6 महीने से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) और मिशन पोषण 2.0 योजनाओं के तहत निर्धारित पोषण मानदंडों के अनुसार भोजन का प्रावधान किया गया है। छह वर्ष की आयु तक के कुपोषित बच्चों के लिए उच्च पोषण मानदंड निर्धारित किए गए हैं। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था की अवधि के दौरान मजदूरी के नुकसान की आंशिक भरपाई और पोषण के अनुपूरण के लिए कम से कम 6000 रुपये का नकद मातृत्व लाभ प्राप्त करने का अधिकार है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय देश भर में बच्चों और महिलाओं में कुपोषण को दूर करने तथा बाल उत्तरजीविता दर में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है:

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान तथा पोषण सहित मातृ एवं शिशु देखभाल के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस (वीएचएसएनडी) मनाए जाते हैं।
- एएनएम, सीएचओ और आशा के रूप में क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ता एनीमिया की रोकथाम, पोषण प्रबंधन और स्वस्थ आहार के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देते हैं।
- चिकित्सा जटिलताओं के साथ गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) से पीड़ित 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इन-पेशेंट चिकित्सा और पोषण संबंधी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) स्थापित किए जाते हैं। उपचारात्मक स्वास्थ्य परिचर्या के अलावा, बच्चों को समय पर, पर्याप्त और उचित आहार देने; आयु-उपयुक्त स्वास्थ्य देखभाल और आहार संबंधी पूर्ण प्रथाओं के संबंध में माताओं और स्वास्थ्य देखभाल कर्ताओं के कौशल में सुधार करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
- स्तनपान कवरेज में सुधार के लिए माताओं का पूर्ण स्नेह (मा) कार्यक्रम लागू किया जाता है, जिसमें स्तनपान की शीघ्र शुरुआत और पहले छह महीनों के लिए केवल स्तनपान कराना शामिल है, इसके बाद आयु-उपयुक्त पूरक आहार संबंधी व्यवहारों पर परामर्श दिया जाता है।
- एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) कार्यनीति को छह लाभार्थी आयु समूहों - शिशुओं (6-59 महीने), बच्चों (5-9 वर्ष), किशोरों (10-19 वर्ष), गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और प्रजनन आयु समूह (15-49 वर्ष) की महिलाओं में मजबूत संस्थागत तंत्र के माध्यम से छह हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन के माध्यम से समग्र जीवन चक्र में एनीमिया को कम करने के लिए कार्यान्वित किया गया है।
- नवजात और छोटे बच्चों की समुदाय आधारित स्वास्थ्य देखभाल: नवजात बच्चों की गृह आधारित स्वास्थ्य देखभाल (एचबीएनसी) और छोटे बच्चों की गृह आधारित स्वास्थ्य देखभाल (एचबीवाईसी) कार्यक्रम के तहत, आशाकर्मियों द्वारा बाल पालन प्रथाओं में सुधार और समुदाय में बीमार नवजात और छोटे बच्चों की पहचान करने के लिए घर का दौरा किया जाता है।
- सुविधा केंद्र आधारित नवजात स्वास्थ्य देखभाल: जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज स्तर पर विशेष नवजात स्वास्थ्य देखभाल इकाइयाँ (एसएनसीयू) स्थापित की जाती हैं, बीमार और छोटे बच्चों

की देखभाल के लिए प्रथम रेफरल इकाइयों (एफआरयू) / सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में नवजात स्थिरीकरण इकाइयाँ (एनबीएसयू) स्थापित की जाती हैं।

(ग): पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत पोषण कार्यक्रमों के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

एनएचएम के तहत पोषण कार्यक्रमों के लिए अनुमोदित धनराशि और व्यय (लाख रुपए में)									
2020-21*		2021-22*		2022-23		2023-24		2024-25 (दूसरी तिमाही तक)	
अनुमोदन	व्यय	अनुमोदन	व्यय	अनुमोदन	व्यय	अनुमोदन	व्यय	अनुमोदन	व्यय
18499.7	11274.4	98082.1	61866	129011.1	51384.4	150807.1	62585.9	121967.4	16738.2

(स्रोत: एनएचएम वित्त)

1. एसपीआईपी अनुमोदन और व्यय राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत और उपलब्ध वित्तीय प्रबंधन रिपोर्ट के अनुसार हैं और अनंतिम हैं।
2. व्यय में केंद्रीय निर्गत राशि, राज्य के हिस्से की संबंधित निर्गत राशि और वर्ष की शुरुआत में अव्ययित शेष राशि के सापेक्ष व्यय शामिल हैं।
3. *एमएए, एनडीडी, एएमबी, एनआरसी, विटामिन-ए, आईएमएनसीआई, एफ-आईएमएनसीआई, आईडीसीएफ, एचबीवाईसी, एचबीएनसी, एनबीएसयू, एनएसएसके, एसएनसीयू, केएमसी, सांस, परिवार भागीदारी स्वास्थ्य देखभाल, सीडीआर, पीएईडी-एचडीयू आदि जैसे सभी सीएच कार्यक्रमों के लिए बजट आवंटन शामिल है।
4. वित्त वर्ष 2024-25 के व्यय में केंद्रीय निर्गत राशि, राज्य निर्गत राशि और वर्ष की शुरुआत में अव्ययित शेष राशि के सापेक्ष व्यय शामिल हैं। आरसीएच आदि के लिए लचीला पूल से संबंधित व्यय, अरुणाचल प्रदेश, पीजे (31.08.2024 तक अद्यतन), केएन, एमजेड (31.07.2024 तक अद्यतन) और एमजी (30.06.2024 तक अद्यतन) को छोड़कर, 30.09.2024 तक अद्यतन किया गया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, मिशन पोषण 2.0 के तहत वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2024-25 तक जारी धनराशि निम्नानुसार है:

मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत जारी धनराशि (करोड़ रु. में)							
2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
निर्गत राशि	उपयोग की गई राशि	निर्गत राशि	उपयोग की गई राशि	निर्गत राशि	उपयोग की गई राशि	निर्गत राशि	उपयोग की गई राशि
18368.01	18789.28	19849.82	19,352.89	21741.17	*	12027.62	*

* उपयोग प्रमाण पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ (20 नवंबर 2024 को जारी की गई धनराशि)

*****